

22-8-14

समाह्वय, दरभंगा

क्रमांक: 8238

दिनांक: 27/8/14

कार्यालय:

27/8/14

बिहार सरकार
वित्त विभाग

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली 1948 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

2/8

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ ।-(1) यह नियमावली बिहार सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी ।

2. उक्त नियमावली, 1948 के नियम 16 का उपनियम (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

“(1) अभिदाता से अग्रिम उतने बराबर-बराबर किशतों में वसूली जाएगी जो स्वीकृति पदाधिकारी निदेशित करें, परन्तु ऐसी संख्या-12 से कम या 36 से अधिक नहीं होगी । कोई अभिदाता अपने विकल्प पर एक माह में एक से अधिक किशत का पुनर्भूगतान कर सकता है । प्रत्येक किशत रूपयों की एक पूर्ण संख्या होगी, ऐसे किशतों के नियतन को स्वीकृत करने के लिये यदि आवश्यक हो, अग्रिम की राशि बढ़ाई या घटाई जा सकेगी ।”

श्री जयलाल
श्री वाणु
श्री संजिका
तदनुसार
कार्रवाई ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(बी0 राजेन्दर)

सचिव (संसाधन)

ज्ञापांक-वि0(27)पे0को0-126/13...../वि0 पटना, दिनांक...../

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/-

(बी0 राजेन्दर)

सचिव (संसाधन)

ज्ञापांक-वि0(27)पे0को0-126/13...../वि0 पटना, दिनांक...../

प्रतिलिपि:- सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सचिव, बिहार विधान परिषद्/सचिव, बिहार विधान सभा/महानिबंधक उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(बी0 राजेन्दर)

सचिव (संसाधन)

जापांक-वि0(27)पि0को0-126/13.....1130../वि0 पटना, दिनांक...12-08-14../
प्रतिलिपि:- संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन, भविष्य निधि निदेशालय, पंत
भवन, पटना/सभी जिला भविष्य निधि पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Marjendra
12.8.2014

(बी0 राजेन्द्र)
सचिव (संसाधन)
२६
12-8-14

समाह्वानालय, द.अंशा
(स्थापना शाखा)

शापांक :- 1191 दिनांक :- 09/09/2014.

प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / सभी अंचल अधिकारी
द.अंशा जिला ।

प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी / सभी भूमि-पुश्चा अ.संसाधन
द.अंशा जिला ।

प्रतिलिपि :- मुख्यालय स्थित सभी विकास एवम् व्यवस्थापन पदाधिकारी
को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यधि प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- जिला आर्कि. एं. मैनेजर को सूचनार्थ एवम् सभी संबंधितों
को ईं. मैनेजर के माध्यम से अंजल तथा जिला के वेबसाइट
पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

अ.अ.अ.
3/9/14

स्थापना उपसम हल

द.अ.अ.

अ.अ.अ.
2-9-14
22/9/14